

न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह-अंचल कार्यालय, नावाडीह (बोकारो)।

अनुसूची 14 - फारम सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....से.....तक

जिला- बोकारो वाद संख्या.....05/2022-23

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
27/07/22	<p>प्रबंधक B-0-1 नावाडीह शाखा जिला- बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता..... ने अपने अधियाचना संख्या..... द्वारा देनदार <u>धामधर ठाकुर</u> <u>पिता स्व. रामधर ठाकुर</u> <u>ग्रामत पी. 2 - नावाडीह</u> <u>थाना - नावाडीह जिला - बोकारो</u>..... जिला- बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 19870200..... की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल किया गया है। साथ ही कोर्ट की रूपये..... कुल..... रूपये का वसूली दावा दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है।</p> <p>अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उडिसा लोक माँग अधिनियम-4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत विधिवत सूचना (नोटिस) निर्गत करें।</p> <p>देनदार को सूचना (नोटिस) का तामिला स्थानीय थाना एवं निबंधित डाक के माध्यम से करावें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 03/08/22 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>A. K. Singh</i> 11/07/22 अंचल अधिकारी, नावाडीह।</p>	
03/08/22	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त देनदार अनुपस्थित।</p> <p>अभिलेख दिनांक 10/02/23 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>A. K. Singh</i> 10/02/2023 अंचल अधिकारी, नावाडीह।</p>	

11/02/23

अभिलेख उपस्थापित

पक्ष अनुपस्थित, पक्ष को उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गम करें।

अभिलेख दिनांक 03/03/23 को उपस्थापित करें।

अं 300

03/03/23

अभिलेख उपस्थापित

पक्ष अनुपस्थित, पक्ष को उपस्थित होने के लिए

नोटिस निर्गम करें।

अभिलेख दिनांक 14/03/23 को उपस्थापित करें।

14/03/23

अभिलेख उपस्थापित

अं 300

पक्ष उपस्थित, पक्ष के द्वारा बंध वकालत राशि

उत्पादन कर कार्यालय में NOC प्रस्तुत किया।

वाद श्री. करवाई समाप्त की जाती है।

14/03/23  
अं 300